कार्यालय नगर पालिक निगम, सागर (म.प्र.)

क्र./स्था./न.नि./2024/ 562 सागर, दिनांक 28/7/24

विज्ञापन

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका कमांक 7275/2019 में पारित आदेश दिनांक 30.01.2024 म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक एफ 07-19/2019/आ.प्र./1 दिनांक 14.02.2024 म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पत्र कमांक/676/16017123/2023/18-1 दिनांक 16.02.2023 संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक/स्था/एक//201/प्र.शि/2024/3780 भोपाल दिनांक 26.02.2024 तथा मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन के पत्र कमांक एफ 8-2/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 04.01.2024 एवं अन्य पत्रों में दिये गये निर्देशासनुसार विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए नियमित पद का नाम उपयंत्री/सहायक ग्रेड-3/सहायक राजस्व निरीक्षक/उपस्वच्छता पर्यवेक्षक एवं संविदा पद का नाम भृत्य/सफाई संरक्षक के आरक्षित पद/पदों की पूर्ति वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यार्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भर कर दिनांक 09.08.2024 तक कार्यालयीन समय 5:30 सायंकाल तक आवेदन-पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय/कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण,वेतनमान,निर्धारित योग्यता की जानकारी निम्नानुसार है:-

www.newsjobmp.com

क्र.	पदनाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता	वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि
				दृष्टि बाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमे सम्मिलित है,सेरेब्रल पाल्सी,कुष्ठ रोग मुक्त,बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज़्म, बौध्दिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलॉग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	उपयंत्री	तृतीय श्रेणी	9300-34800 ग्रेड पे-3200	01	00	00	00	मान्यता प्राप्त विश्व विघालय से सिविल इंजी. में 3 वर्षीय डिप्लोमा	
2	सहायक ग्रेड-3	तृतीय श्रेणी	5200-20200 ग्रेड पे-1900	00	01	01	00	12वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं टंकण कार्य एवं (CPCT) कम्प्यूटर प्रचलन में दक्षता सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित योग्यता	
3.	सहायक राजस्व निरीक्षक	तृतीय श्रेणी	5200-20200 ग्रेड पे-1900	01	00	00	01	12वी उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर प्रचलन की दक्षता	
4	उपस्वच्छता पर्यवेक्षक	तृतीय श्रेणी	5200-20200 ग्रेड पे-1900	00	01	00	00	12 वी कक्षा उत्तीर्ण	
5	भृत्य	संविदा	अकुशल श्रेणी (कलेक्टर दर)	01	00	01	01	10 वीं कक्षा उत्तीर्ण	

www.newsjobmp.com

www.newsjobmp.com

6	सफाई संरक्षक	संविदा	अकुशल श्रेणी (कलेक्टर दर)	05	06	06	05	5 वीं कक्षा उत्तीर्ण	

www.newsjobmp.com

मुख्य शर्तेः–

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण–पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जावें।
3. मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 2–38/18/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष आरक्षित वर्ग–अनु जा. अनु. जनजाति अन्यपिछड़ा वर्ग शासकीय/ निगम/मण्डल/स्वाशासी/ संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओं (अनारिक्षत/आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) होगी।
4. मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी–3–8/2016/3–एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3–38/16/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है1
5. आवेदक का वॉक–इन–इंटरव्यू/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना अनिवार्य है।
6. दिव्यांगता के डिजिटल प्रमाण –पत्र की अनिवार्यता दिनांक 01.06.2021 से लागू की गई है। अतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मैन्यूअल दिव्यांग प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
7. डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण –पत्र एवं सक्षम अधिकार द्वारा जारी किया ही मान्य होगा।
8. वॉक –इन–इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों का विचार नहीं किया जायेगा।
10. भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्ते कार्यालयीन समय में निगम/निकाय से प्राप्त की जा सकती है।
11. यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदो के लिए अयोग्य माना जायेगा।
12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तो को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को पूर्ण करता है।
13. आवेदन–पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण –पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक का पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
14. सीधी / बैकलॉग के पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना 2005 अंतर्गत नियुक्ति होगें।
15. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछडी जनजातियों (सहरिया/सहरिया,भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथ्क से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप्य में नहीं है वे निरस्त कर दिये जायेगें। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।

www.newsjobmp.com

17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदो के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात् ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
18. यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदो के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यार्थियों के निःशश्क्ता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा
19. शासन के आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यार्थी जिसके 02 से अधिक जीवित सन्तानें हैं, जिसने से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है तो ऐसा अभ्यार्थी नियुक्त हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्ताने जन्म लेती है तो उसके अयोग्य नहीं माना जावेगा।
20. मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी3–13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यार्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यार्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।

21. दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगर पालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधानुसार की जावेगी।
22. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे।
23. नियुक्ति के लिए तैयार मेरिट सूची अनुसार आवेदक को वॉक–इन–इन्टरव्यू हेतु पृथक से सूचना दी जावेगी।

मध्यप्रदेश की सरकारी नौकरियों एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए यहां से व्हाट्सएप चैनल Click Here